बांड धारकों के लिए दिशा निर्देश

1.बांडों का मोचन (रिडम्पशन)

बांडों का मोचन उनकी परिपक्वता की तारीख को पंजीकृत बांड धारक द्वारा विधिवत् रूप से उन्मोचित बांड प्रमाणपत्र (बांडों के पीछे 1/-रु. का रेवेन्यु स्टॉम्प लगाकर उस पर हस्ताक्षर कर)की सुपुर्दगी करने पर किया जाता है. मोचन की रिकॉर्ड तारीख नकदीकरण/मोचन की मान्य तारीख से एक महीने पहले है.

तथापि, आईडीबीआई बैंक को अपने पूर्ण विवेक पर यह अधिकार है कि वह रिकॉर्ड तारीख से कम से कम 15 दिन पहले एकल बांडधारकों को सूचना देकर अथवा समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस देकर मोचन के लिए बांड सुपुर्द करने की आवश्यकता को छूट देकर समाप्त कर सकता है . इस तरह की छूट के मामले में यदि मोचन प्राप्तियां रिकॉर्ड तारीख को बांडधारकों के रजिस्टर में दिये गए बांडधारकों को दे दी जाती है तो आईडीबीआई की देयता समाप्त हो जाती है . चूंकि बांड पृष्ठांकन व सुपुर्दगी द्वारा अंतरणीय हैं, अत: अंतरिती को परिपक्वता / समयपूर्व मोचन की रिकॉर्ड तारीख से पहले अपना नाम आईडीबीआई बैंक के पास पंजीकृत करवा लेना चाहिए.

2. पते / बैंक विवरण में परिवर्तन

पते / बैंक विवरण में परिवर्तन संबंधी अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जाएगी, जब यह लिखित में हो तथा इस पर फोलियो नंबर के उल्लेख के साथ प्रथम बांडधारक के हस्ताक्षर हों. पते में परिवर्तन का अनुरोध स्वत: सत्यापित स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड और संबद्ध पते के प्रमाण के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

3. डुप्लीकेट बांड प्रमाणपत्र जारी करना

- विकृत / क्षतिग्रस्त बांड प्रमाणपत्रों के मामले में विकृत / क्षतिग्रस्त बांड प्रमाणपत्रों के स्थान पर डुप्लीकेट बांड जारी किए जाते हैं. विकृत / क्षतिग्रस्त बांड प्रमाणपत्र विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध और पैन कार्ड की प्रति के साथ रजिस्ट्रार के पास भेजे जाते हैं ताकि आईडीबीआई बैंक नया प्रमाणपत्र जारी कर सके.

- खोए हुए अथवा न मिल पा रहे बांड प्रमाणपत्रों के मामले में डुप्लीकेट बांड प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निवेशक को रजिस्ट्रार/आईडीबीआई बैंक के पास निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं
  - बांडधारक (कों) का /के विधिवत हस्ताक्षरित पत्र.

- क्रमश: 200/-रु. तथा 100/-रुपये के गै र न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर नोटरी करवाया हुआ क्षतिपूर्ति पत्र तथा शपथपत्र.
- पैन कार्ड की विधिवत् रूप से स्वत: सत्यापित प्रति.
- एक रद्द किया हुआ चेक.
- बांड धारक(कों) के हस्ताक्षर उनके बैंकर द्वारा सत्यापित होने चाहिए तथा उस पर सत्यापन कर्ता अधिकारी का नाम/पता/पदनाम/सेवा कोड दिया होना चाहिए.
- बांड प्रमाणपत्र(त्रों) के खो जाने की सूचना प्रमाणपत्र नंबर / फोलियो नंबर व डिस्टिंक्टिव नंबर के साथ तत्काल रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए ताकि आईडीबीआई बैंक ऐसे बांड का अंतरण रोक सके.
- प्रमाणपत्र (त्रों) के खो जाने की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवा कर एफआईआर की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए.

समाचार पत्रों में मूल बांड प्रमाणपत्र (त्रों) के खो जाने /प्राप्त न होने संबंधी आवश्यक अधिसूचना जारी होने के बाद ही डुप्लीकेट बांड प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे.

4. <u>डुप्लीकेट ब्याज वारंट जारी करना</u>

- ब्याज वारंट आमतौर पर देय तारीख से एक सप्ताह पहले पंजीकृत बांडधारकों को भेजे जाते हैं. जिन बांडधारकों को ब्याज वारंट देय तारीख के बाद यथोचित समय बीत जाने के बावजूद न मिल पाएं, वे ब्याज वारंटों की अप्राप्ति की सूचना रजिस्ट्रार आईडीबीआई को भेजें और अपने आवेदन में फोलियो संख्या, प्रमाणपत्र संख्या, नाम और अन्य जानकारी जैसे निर्गम का स्वरूप, योजना का नाम व संबंधित वारंट की देय तारीख/अवधि का उल्लेख करें.

- जहाँ वारंट जारी कर डाक से भेजे जा चुके हों, लेकिन बिना सुपुर्द किए वापस न आए हों या खो गए हों, वहाँ डुप्लीकेट ब्याज वारंट इस संबंध में बांड धारक से अनुरोध प्राप्त होने पर बैंक यह पता लगने के बाद ही जारी किए जाएंगे कि इनका नकदीकरण नहीं करवाया गया है.

- वैधता अवधि समाप्त होने के बाद वारंट पुनर्वैधीकरण / नया वारंट जारी करवाने के लिए रजिस्ट्रार को भेजे जाएंगे.

5. <u>बांडधारक के नाम में परिवर्तन</u>

- **<u>वयस्क बांडधारक के नामों में परिवर्तन</u>**

नाम परिवर्तन संबंधी अनुरोध करते समय बांड धारक(कों) को निम्न दस्तावेज रजिस्ट्रार/ आईडीबीआई को भेजने होंगे.

- विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र
- शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना की विधिवत् सत्यापित प्रति
- मूल बांड प्रमाणपत्र
- नये नाम वाले पैन कार्ड की प्रति
- बांड धारक(कों) के हस्ताक्षर उनके बैंकर द्वारा सत्यापित होने चाहिए तथा उस पर सत्यापन कर्ता अधिकारी का नाम/पता/पदनाम/सेवा कोड दिया होना चाहिए.

- **<u>अवयस्क के वयस्कता उम्र में पहुँचने पर स्थिति में परिवर्तन</u>**

जिस अवयस्क ने बांड अपने अभिभावक के माध्यम से प्राप्त किए हों, वह वयस्कता उम्र में पहुँचने पर बांड का पंजीयन खुद के नाम पर करवाने के लिए अनुरोध कर सकता है. इस संबंध में किए जाने वाले अनुरोधों के साथ अवयस्क के वयस्क होने का प्रमाण तथा मूल बांड प्रमाणपत्र भेजे जाएं(जन्म प्रमाणपत्र/सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्र आदि). अवयस्क के वयस्कता की उम्र में पहुँचने पर उसे अपने नए नमूना हस्ताक्षर अपने अभिभावक अथवा बैंकर से अनुप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करने होंगे.

- **<u>अभिभावक में परिवर्तन</u>**

जिस अवयस्क ने बांड अपने अभिभावक के माध्यम से प्राप्त किए हों, वह अभिभावक के नाम में परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकता है. ऐसे अनुरोध नए अभिभावक द्वारा किए जाएं. यदि बांड के अर्जन के समय जो व्यक्ति अभिभावक था, वह जीवित हो, तो अभिभावक परिवर्तन के संबंध में उसकी सहमति प्रस्तुत की जाए. नए अभिभावक को अपने नमूना हस्ताक्षर अपने बैंकर अथवा सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुप्रमाणित करवाकर स्वयं को स्वाभाविक अभिभावक / वैधानिक अभिभावक अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक साबित करने वाले प्रमाण के साथ भेजने होंगे.

- **<u>अवयस्क के नाम में परिवर्तन</u>**

यदि किसी अभिभावक ने बांड किसी अवयस्क के नाम पर लिए हैं और अवयस्क का नामकरण संस्कार होने के बाद वह उसके नाम में कोई परिवर्तन दर्ज करवाना चाहे, तो वह बांड प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करते हुए (जैसे अंतरण के मामले में किया जाता है) अवयस्क के नाम परिवर्तन के प्रमाण के साथ इस विषयक अनुरोध कर सकता है.

- **<u>वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन होने पर नाम में परिवर्तन</u>**

विवाह / तलाक आदि के फलस्वरूप नाम में परिवर्तन करवाने के लिए मूल प्रमाणपत्र के साथ विवाह प्रमाणपत्र / तलाक की डिक्री की प्रति सक्षम प्राधिकारी (देखें धारा 3.1) से अनुप्रमाणित करवाकर रजिस्ट्रार भेजी जाए. साथ में धारक के बैंकर/नोटरी/मजिस्ट्रेट से विधिवत् सत्यापित नमूना हस्ताक्षर भी भेजे जाने चाहिए.

- **<u>कंपनियों के नाम में परिवर्तन</u>**

जारी किए गए बांड प्रमाणपत्रों में परिवर्तन करवाने की इच्छुक कंपनियाँ मूल बांड प्रमाणपत्र के साथ कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नवीन निगमन प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें.

बांड प्रमाणपत्र/ब्याज वारंट में सुधार के लिए अनुरोध सभी धारकों के विधिवत् हस्ताक्षर सहित मूल प्रमाणपत्र / वारंट और सम्बद्ध दस्तावेज जैसे गजट अधिसूचना /विवाह प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाने चाहिए.

6. <u>बांडों का अंतरण</u>

प्रॉमिसरी नोट के रूप में बांड परक्राम्य लिखत होने के कारण अंतरणकर्ता द्वारा पृष्ठांकन व सुपुर्दगी किए जाने पर अंतरणीय हैं. अंतरणकर्ता (विक्रेता) को बांड प्रमाणपत्र के पिछले पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे तथा अंतरिती (खरीदार) को उचित स्थान पर अपना नाम लिख कर हस्ताक्षर करने होंगे. देशीय भाषा में किए गए पृष्ठांकन का नाम के एकदम नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देना होगा. अँगूठे का निशान लगाए जाने पर इसे प्राधिकृत व्यक्ति (मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक अथवा आईडीबीआई के अधिकारी) से अधिप्रमाणित करवाना होगा.

कृपया यह सुनिश्चित करें कि बांड बेचनेवाले (अंतरणकर्ता) और खरीदार (अंतरिती) ने प्रमाणपत्र में उचित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और खरीदार का पूरा पता पिनकोड, टेलीफोन और फैक्स नंबर, यदि कोई हो, के साथ एक अलग कागज पर दिया गया हो.

यदि अंतरिती अपने नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित बांड प्रमाणपत्र रखना चाहे, तो यह आवश्यक होगा कि वह आवश्यक मुख्तारनामे को नोटरी करवा कर संलग्न करें.

यदि खरीदार का उसी योजना में कोई फोलियो नंबर विद्यमान हो, तो कृपया उसका उल्लेख करें ताकि आईडीबीआई बैंक उसी फोलियो नंबर में नए बांड दर्ज कर सके.

बांड पर ब्याज का भुगतान केवल पंजीकृत बांडधारकों को ही किया जाता है. अंतरण के मामले में अंतरिती को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना नाम रिकॉर्ड तारीख से पहले अर्थात ब्याज देय होने की तारीख से 1 माह पहले अथवा मासिक/तिमाही आय योजना के अंतर्गत उत्तर-दिनांकित वारंट भेजे जाने से पहले आईडीबीआई बैंक में पंजीकृत करवा लें. यदि आईडीबीआई बैंक/रजिस्ट्रार को अंतरण के लिए अनुरोध रिकॉर्ड तारीख से पहले नहीं मिलता है तो पंजीकृत बांड धारक (यथा रिकॉर्ड तारीख को) को भुगतान कर दिया जाएगा और दावे,यदि कोई हों,पार्टियों के बीच आपस में होंगे न कि आईडीबीआई बैंक के विरुद्ध.

- **<u>बांड धारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बांडों का पारेषण</u>**

बांड प्रमाणपत्रों के पारेषण का मामला पंजीकृत बांडधारक की मृत्यु हो जाने पर निर्मित होता है. मृत पंजीकृत बांडधारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति कृपया प्राधिकृत व्यक्ति (मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक अथवा आईडीबीआई के अधिकारी) से विधिवत् अधिप्रमाणित करवाकर बांड प्रमाणपत्र के साथ भेजी जाए.

यदि बांड संयुक्त नाम पर धारित हों तो केवल मृत बांडधारक का नाम हटा दिया जाएगा और बांड उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के नाम पर पारेषित कर दिया जाएगा तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर उसके निष्पादक, प्रशासक अथवा उक्त बांड का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र रखने वाले किसी व्यक्ति को पारेषित किया जाएगा.

एकल बांडधारक के मामले में बांड उन व्यक्तियों के पक्ष में पारेषित किए जाएंगे जो मृत पंजीकृत बांडधारक की निष्पादित वसीयत के अनुसार उसके निष्पादक अथवा प्रशासक हैं.

यदि मृत बांडधारक ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी हो तो मृत बांडधारक के उत्तराधिकारियों को बांडों का पारेषण करने की कार्रवाई उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा प्रशासन पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही की जाएगी.

- **<u>प्रमाणपत्र में दूसरे या तीसरे धारक का नाम जोड़ना</u>**

यदि कोई प्रमाणपत्र एक या दो व्यक्तियों के नाम पर हो तथा वह / वे बांड प्रमाणपत्र में एक या दो नाम (अधिकतम तीन अनुमत) संयुक्त धारक के रूप में जुड़वाना चाहता हो/ चाहते हों, तो वे कृपया वही प्रक्रिया अपनाएं, जो बांड प्रमाणपत्र के अंतरण में लागू है. {अर्थात् मूल धारक (कों) को बांड प्रमाणपत्र के पिछले पृष्ठ पर अंतरणकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे और फिर मूल धारक (कों) व अतिरिक्त धारक (कों) को उचित स्थान पर अंतरिती के रूप में नाम व हस्ताक्षर करने होंगे }. यदि जोड़े जाने वाला व्यक्ति अवयस्क है, तो पहले अवयस्क का नाम लिखकर उसी कॉलम में उसके नीचे अभिभावक का नाम लिखा जाए. ऊपर बताए अनुसार ही हस्ताक्षर किए जाएं. पंजीयन हेतु प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार / आईडीबीआई को अग्रेषित किया जाए.

- **<u>नामांकन</u>**

आईडीबीआई बांड में नामांकन सुविधा उपलब्ध है. एकल बांडधारक अथवा सभी धारक संयुक्ततः अथवा उत्तरजीवी धारक अवयस्क सहित एक या एक से अधिक (किंतु चार से कम) व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं, जो एकल धारक अथवा सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु होने पर बांड के संबंध में देय राशियाँ प्राप्त करने के हकदार होंगे. यदि नामांकन एक से अधिक व्यक्ति(यों) के पक्ष में है, तो धारक(कों) की मृत्यु होने पर देय राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रथम नामिती को होगा. नामिती को केवल राशि प्राप्त करने का अधिकार है. प्रमाणपत्र न तो उनके नाम पर अंतरित किया जाएगा न ही वे इसे बेच सकेंगे और न ही किसी को अंतरित कर सकेंगे.

- नामिती के अवयस्क होने की स्थिति में बांडधारक को अन्य विवरणों अर्थात् उनके अभिभावक का नाम और पता, के साथ जन्म-तारीख दर्शानी होगी.

- नामांकन आवेदन के समय ही या बाद में भी कराया जा सकता है. एक बार करवाया गया नामांकन रद्द करवाया जा सकता है / बदला जा सकता है. इस संबंध में सभी बांड धारकों के हस्ताक्षर से रजिस्ट्रार को आवेदन करें.

- नामांकनकर्ता द्वारा बांड का अंतरण करवाए जाने पर नामांकन निरस्त समझा जाएगा. अंतरिती व्यक्ति रजिस्ट्रार को आवेदन कर नया नामांकन करवा सकता है जिसके लिए उन्हें रजिस्ट्रार को लिखित आवेदन करना होगा.

- कार्यालय के धारक के रूप में बांड की धारिता रखनेवाले अथवा न्यास के रूप में कार्य करने वाले अथवा बांड में किसी प्रकार का लाभकारी हित रखनेवाले किसी व्यक्ति (यों) के लिए किसी अन्य हैसियत से कार्य करने वाले व्यक्ति को, नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी.

7. <u>कॉल/पुट विकल्प</u>

कुछ आईडीबीआई बांडों में विनिर्दिष्ट तारी खों को बांड प्रमाणपत्र पर उल्लिखित बांड के मान्य अंकित मूल्य पर पुट विकल्प (बांड धारकों द्वारा शीघ्र मोचन के लिए विकल्प) उपलब्ध है. इस विकल्प का प्रयोग करने के इच्छुक निवेशकों को संबंधित तारीख से कम से कम एक महीने पहले विधिवत् उन्मोचित बांड प्रमाणपत्र के साथ रजिस्ट्रार को अपने अनुरोध भेजने होंगे.

इसी प्रकार, आईडीबीआई बैंक के पास भी यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बांड धारकों को मांग विकल्प सूचना जारी कर बांड के मान्य अंकित मूल्य पर विनिर्दिष्ट तारीखों को बांडों का मोचन (मांग विकल्प) कर सकता है.

आईडीबीआई बैंक ने विभिन्न तारीखों को मांग विकल्प का प्रयोग कर (संबंधित ऑफर दस्तावेज के प्रवाधानों के अनुसार) निम्न बांडों का मोचन कर दिया है. इनके ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

बांड श्रृंखला	**योजना (फोलियो नंबर से पहले)**	**मांग विकल्प तारीख**	**निर्गम मूल्य (रु.)**	**मोचन राशि (रु.)**	**रजिस्ट्रार**
श्रृंखला I 1992	डीप डिस्काउंट बांड (डीडी)	31.03.2002	2,700	12,000	कार्वी कम्प्युटर शेयर प्रा. लि., प्लॉट नं. 17 से 24, विट्ठल राव नगर,
फ्लेक्सी 1 (1996)	डीप डिस्काउंट बांड (एफडीडीबी/पीडीडीबी)	01.08.2000	5,300	10,000	
	रिटायरमेंट बांड (एफआरएमबी/पीआरएमबी)	01.08.2000	5,300	10,000	
	ईज़ी एक्जिट बांड (एफईईबी/पीईईबी)	01.08.2000	5,000	5,135	
	रेग्युलर इंकम बांड (एफआरआरबी/पीआरआरबी)	01.08.2000	5,000	5,169	

फ्लेक्सी 2 (1997)	डीप डिस्काउंट बांड (एफडीडी)	30.04.2001	5,500	10,000	माधापुर, हैदराबाद - 500081
फ्लेक्सी 3 1998	डीप डिस्काउंट बांड (एफडीबी)	16.03.2003	12,750	23,500	
फ्लेक्सी 4 1998	डीप डिस्काउंट बांड (आईएफडी)	16.11.2005	10,000	25,000	
फ्लेक्सी 7 1999	डीप डिस्काउंट बांड (डीडीबी 7)	11.09.2004	5,000	9,000	

उक्त बांडों पर मांग विकल्प की तारीख के बाद से कोई ब्याज देय नहीं होगा . मांग विकल्प का प्रयोग करने से पहले आईडीबीआई बैंक द्वारा हर बांड धारक को सूचना दी गई थी . इसके अलावा , मांग विकल्प सूचना और अनुस्मारक राष्ट्रीय , क्षेत्रीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे . जिन बांड धारकों ने अभी तक विधिवत् रूप से उन्मोचित बांड प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर मोचन भुगतान प्राप्त नहीं किया है , वे बांड प्रमाणपत्र के साथ पैन कार्ड की प्रति , उनका पता, संपर्क संख्या, ईमेल आईडी और प्रथम धारक के बैंक ब्योरे ऊपर किए गए उल्लेखानुसार संबंधित रजिस्ट्रार को भेजें . टीडीएस से छूट के लिए पात्र निवेशकों को 15जी/15एच फॉर्म के साथ पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसके बिना किसी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी औ र विनिर्दष्ट दर से उच्च की दर पर अथवा 20% की दर पर काटा जाएगा.

8. <u>ब्याज भुगतान में से स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)</u>

बांड पर ब्याज को आयकर के प्रयोजन से प्रतिभूतियों पर ब्याज माना जाता है.ऐसे ब्याज पर विद्यमान दर पर (निवासी निवेशक के लिए 10%) टीडीएस लागू होगा.जहाँ स्रोत पर ब्याज कटौती की जाएगी, वहाँ उन निवेशकों को फॉर्म 16 ए के रूप में प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिनके पैन नंबर रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध हैं. यदि निवेशक को यह प्रमाणपत्र न मिले, तो वे कृपया रजिस्ट्रार को पूर्ण विवरण के साथ डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लिखें. आयकर अधिनियम 1961 के अधीन टीडीएस से संबंधित नये प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 2010 से जिसके कर की कटौती की जानेवाली है उसका पैन नंबर उपलब्ध न होने पर टीडीएस के लिए पात्र सभी लेनदेनों पर विनिर्दिष्ट दर से अधिक की दर अथवा 20% की दर पर कर की कटौती की जाएगी.

तथापि, आयकर अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अधीन निम्न मामलों के संदर्भ में बांडों पर देय ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी:

- जब निवासी एकल बांड धारक को ब्याज के भुगतान की कुल राशि वित्तीय वर्ष के दौरान 5000/-रुपये से अधिक न हो.

- जब निवासी बांड धारक (कंपनी अथवा फर्म को छोड़कर) आयकर अधिनियम की धारा 197ए के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दि ष्ट फॉर्म 15 जी (पैन कार्ड की प्रति के साथ)में यह घोषणा करता है कि संबंधित वित्तीय वर्ष में उनकी प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित कुल अनुमानित आय पर देय कर 'शून्य' होगा, तो स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी.

- 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक कर की कटौती न किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट फॉर्म 15 एच(पैन कार्ड की प्रति सहित)में स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं.

- जब मूल्यांकन अधिकारी आयकर अधिनियम की धारा 197(1) के प्रावधान के अनुसार विनिर्दिष्ट दर से कम की दर / शून्य दर पर स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करता है तो वह प्रमाणपत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर आदाता का पैन नंबर न हो.

- निवेशकों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों जैसे भविष्य निधि / अधिवर्षिता निधि/ग्रेच्युटी फंड जो आय कर विभाग तथा अन्य संस्थाएं जिन्हें संबंधित अधिसूचना / परिपत्र के परणामस्वरूप स्रोत पर कर की कटौती के लिए छूट मिली हुई है.

- डीप डिस्काउंट बांड/मनी मल्टीप्लायर बांड और संचयी विकल्प वाले बांडों के मामले में जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया है, बांड के निर्गम मूल्य व मोचन मूल्य के अंतर को आय कर अधिनियम के अंतर्गत मोचन वर्ष में अकलन योग्य ब्याज आय के रूप में माना जाएगा तथा ब्याज में स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी.

9. <u>बांड धारकों के लिए सामान्य अनुदेश</u>

- अपने सवाल / शिकायत लिखते समय कृपया निर्गम / योजना का नाम, आवेदन सं., फोलियो सं, प्रमाणपत्र सं., विषय आदि का उल्लेख अवश्य करें. साथ ही अपना पूरा पता, पिन कोड, टेलीफोन / फैक्स , यदि कोई हो, का नंबर भी दें.

- आपके पत्र स्पष्ट अक्षरों में होने चाहिए.मूल्यवान दस्तावेज पंजीकृत डाक से भेजे जाएं. कृपया आवेदन, बांड प्रमाणपत्र व डाक पंजीयन पर्ची / पावती की फोटोकॉपी अपने पास रखें ताकि बाद में सुविधा रहे.

- हस्ताक्षर में परिवर्तन होने पर नए हस्ताक्षर अपने बैंकर से सत्यापित करवाकर (आपके बैंक की शाखा के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) भेजें.

- वैसे तो शिकायत का जवाब प्राप्ति के 15 दिन के अंदर भेज दिया जाता है, फिर भी पारेषण / अंतरण जैसे मामलों में लगभग 1 माह का समय लग सकता है.

- डुप्लीकेट बांड प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसमें और भी समय लग सकता है. तथापि, समाचारपत्र में खोने की अधिसूचना प्रकाशित करने के बाद 8 सप्ताह के अंदर डुप्लीकेट बांड जारी कर दिए जाते हैं.

- बांडों का क्रय-विक्रय मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकृत शेयर ब्रोकर के माध्यम से करवाए जाने को प्राथमिकता दें.

- ऋण प्राप्त करने के लिए आईडीबीआई बांडों को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता है . ऐसे ऋण प्रदान करनेवा ले बैंक/ वित्तीय संस्थाएं बांड धारकों की `अनापत्ति' के साथ , बांडों के फोलियो नंबर , प्रमाणपत्र/डिस्टिंक्टिव नंबर का उल्लेख करते हुए ऐसे अनुरोध रजिस्ट्रार को भेज सकती हैं.

----------×----------

होम I शीर्ष